संख्याः 664/68-5-2019-810/2017टी.सी.

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 16 अगस्त, 2019

विषयः शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु परिषदीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क विन्टर यूनीफार्म (स्वेटर) के समयबद्ध वितरण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

शैक्षिक सत्र 2019-20 के लिए प्रदेश के समस्त परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क उच्च गुणवत्ता युक्त ऊनी स्वेटर उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिगत शासन द्वारा स्वेटर का क्रय भारत सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन प्लेटफार्म Government e-Market Place (GeM) जेम पोर्टल के माध्यम से जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत कराना समीचीन होगा कि शासकीय विभागों में सामग्री/सेवाओं के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016 दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा भारत सरकार द्वारा विकसित ई-मार्केट प्लेस (जेम) की व्यवस्था को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। शासनादेश संख्या-12/2017/540/18-2-2017-97 (ल0उ0)/2016 दिनांक 25 अगस्त, 2017 द्वारा उक्त व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। Government e-Market Place (GeM) जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय में आ रही कठिनाईयों के निवारण हेतु जेम के तकनीकी अधिकारियों की एक सेल का गठन शासनादेश संख्या-19/2017/836/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016 दिनांक 28 नवम्बर, 2017 निर्गत किया गया है। तीनों संदर्भगत शासनादेश तथा तत्संबंधी अन्य सुसंगत शासनादेश शासकीय वेबसाइट **shasanadesh.up.nic.in** पर उपलब्ध हैं, इनका सम्यक अध्ययन एवं अनुशीलन कर लिया जाए।

3. जेम पोर्टल के उपयोग हेतु शिक्षा निदेशक (बेसिक), बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को एतद्द्वारा प्राइमरी यूजर नामित किया जाता है। प्राइमरी यूजर स्वयं को (GeM) **(http://gen.gov.in/auth/register)** पर पंजीकरण करा लेंगे। प्राइमरी यूजर के पंजीकरण के उपरान्त उनके द्वारा अपने अधीन कार्यालयों/अधिकारियों (जहा भी सामग्री/सेवा के क्रय एवं भुगतान की कार्यवाही निष्पादित की जाती है) को सेकेण्डरी यूजर्स के रूप में क्रेता (बायर), आपूर्ति

प्राप्तकर्ता (कंसाइनी) अथवा भुगतान कर्ता की भूमिका में पंजीकरण किया जाएगा। शिक्षा निदेशक, बेसिक (प्राइमरी यूजर) द्वारा प्रदेश के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सेकेण्डरी यूजर्स के रूप में पंजीकरण इसी वेबसाइट पर कराते हुए इन्हें सेकेण्डरी यूजर्स के रूप में विभिन्न Roles में पोर्टल्स से जोड़ा जायेगा। प्राइमरी यूजर की जिम्मेदारी होगी कि सभी सेकेण्डरी यूजर्स जेम पोर्टल के परिचालन से परिचित होकर सही ढंग से इसका उपयोग करेंगे। सभी उपयोगकर्ताओं द्वारा जेम पोर्टल के नियमों एवं शर्तों के अनुसार एवं शासन द्वारा विहित प्रक्रियाओं एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत जेम पोर्टल पर स्वेटर क्रय की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4. प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदनोपरान्त जेम पोर्टल पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी छात्र संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार विभिन्न साईज के स्वेटर क्रय किये जाने की कार्यवाही उक्त प्रस्तर–2 में इंगित शासनादेशों के आलोक में सम्पादित की जायेगी।

5. जेम पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क स्वेटर के समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण ढंग से क्रय/आपूर्ति की कार्यवाही दिनांक 20–10–2019 तक पूर्ण करने के पश्चात दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 तक स्वेटर वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने एवं संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी हेतु जनपद स्तरीय समिति का निम्नवत् गठन किया जाता है:–

<u>जनपदीय स्तरीय समिति</u>

(1) जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
(2) मुख्य विकास अधिकारी	–	सदस्य
(3) जिलाधिकारी द्वारा नामित वरिष्ठतम अपर जिलाधिकारी	–	सदस्य
(4) महाप्रबन्धक/प्रबन्धक उद्योग विभाग	–	सदस्य
(5) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी	–	सदस्य
(6) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य–सचिव

जिलाधिकारी/अध्यक्ष द्वारा समयबद्ध ढंग से उच्च गुणवत्ता युक्त ऊनी स्वेटर क्रय, आपूर्ति एवं वितरण हेतु जनपद स्तरीय समिति की बैठक आहूत कर प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वेटर क्रय हेतु वास्तविक छात्र संख्या के आधार पर विभिन्न साइज के स्वेटर की मांग का आकलन कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।निःशुल्क स्वेटर के क्रय की कार्यवाही जनपद स्तर पर की जायेगी तथा सफल आपूर्तिकर्ता/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा इनकी डिलिवरी जनपद के प्रत्येक ब्लॉक पर की जायेगी। बिडर्स द्वारा बिड करने के समय ही स्वेटर के सैम्पल उक्त जनपदीय समिति को उपलब्ध कराये जायेंगे। इन सैम्पलों को संरक्षित किया जायेगा तथा इनका उपयोग यथा आवश्यकता भविष्य में सफल आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्त किये जाने वाले स्वेटर से मिलान करने में किया जायेगा।

जनपद स्तरीय समिति द्वारा निम्न समय–सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी:–

i	(1) प्राइमरी एवं सेकेण्डरी यूजर्स का वेबसाइट पर पंजीकरण। (2) बी0एस0ए0 द्वारा मांग का निर्धारण। (3) जेम पोर्टल पर स्वेटर क्रय हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन	विलम्बतम 31 अगस्त, 2019 तक

ii	जेम पोर्टल पर स्वेटर क्रय संबंधी प्रक्रिया, अनुबंध इत्यादि को पूर्ण किया जाना	विलम्बतम दिनांक 15-09-2019 तक
iii	शत-प्रतिशत स्वेटर की आपूर्ति	विलम्बतम दिनांक 20-10-2019 तक
iv	स्कूलों में स्वेटर का शत-प्रतिशत वितरण	विलम्बतम दिनांक 31-10-2019 तक

6. जिलाधिकारी द्वारा विद्यालयों में स्वेटर क्रय के सम्बन्ध में जेम (GeM) पोर्टल पर उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण स्वेटर की उपलब्धता अधिकाधिक संतोषजनक आपूर्तिकर्ताओं के जेम (GeM) पोर्टल पर पंजीकरण तथा उनके मध्य स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हेतु प्रोत्सहित किया जायेगा तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा।

7. निःशुल्क स्वेटर का वितरण पारदर्शितापूर्ण ढंग से सम्पादित कराया जायेगा। समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने विकास खण्ड स्थित समस्त परिषदीय विद्यालयों की प्रबन्ध समिति के अध्यक्षों/सचिवों की बैठक कर उन्हें निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण स्वेटर के वितरण के संबंध में आवश्यक निर्देश देंगे।

8. <u>विद्यालय प्रबन्ध समिति की भूमिका</u>

स्कूलों में समय से स्वेटर वितरण के लिये विद्यालय प्रबन्ध समिति उत्तरदायी होंगी। निःशुल्क स्वेटर उपलब्ध कराये जाने हेतु सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय प्रबन्ध समिति की विशेष बैठक आहूत की जाएगी जिसमें सभी सदस्यों को निःशुल्क स्वेटर वितरण योजना से अवगत कराया जाएगा।

9. स्वेटर का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से निम्न साईज के अनुसार किया जायेगा-

(1) कक्षा 1 एवं 2 - S size

(2) कक्षा 3 एवं 4 - M size

(3) कक्षा 5 एवं 6 - L size

(4) कक्षा 7 एवं 8 - XL size / DXL

नोटः- उच्च गुणवत्ता युक्त ऊनी स्वेटर का रंग मैरून होगा। स्वेटर का अधिकतम मूल्य 200/- प्रति स्वेटर निर्धारित है। किसी भी दशा में प्रति स्वेटर मूल्य रू0 200/- से अधिक नहीं होगा।

10. प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में प्राप्त समस्त निःशुल्क स्वेटर्स का भौतिक सत्यापन करते हुए स्टॉक रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि की जायेगी तथा एस0एम0सी0 की बैठक आहूत कर स्वेटर दिखाकर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर भी प्राप्त किये जायेंगे।

11. निःशुल्क स्वेटर प्राप्त होने की सूचना खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/राज्य स्तर के कन्ट्रोल कक्ष को दूरभाष द्वारा दी जायेगी। स्वेटर प्राप्त होने की सूचना देते हुए तत्काल वितरण प्रारम्भ किया जाएगा।

12. विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा स्वेटर प्राप्त होने पर भुगतान हेतु प्रस्तुत देयक के सापेक्ष 75 प्रतिशत का भुगतान तत्काल किया जायेगा तथा शेष 25 प्रतिशत भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये सैम्पल से मिलान करने के पश्चात् किया जायेगा।

13. समस्त भुगतान एकाउन्ट पेई चेक/इलेक्ट्रानिक ट्रान्सफर के माध्यम से किया जायेगा। किसी भी स्थिति में नकद भुगतान नहीं किया जायेगा।

14. विद्यालय के प्रधान अध्यापक द्वारा निःशुल्क स्वेटर हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र, वितरण के एक माह के अन्दर खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

15. **स्वेटर का वितरण**

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी/विद्यालय प्रबंध समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक विद्यालय में स्वेटर वितरण मा0 जनप्रतिनिधिगण की गरिमामयी उपस्थिति में किया जाये। स्वेटर वितरण के कार्यक्रम में माननीयों के साथ-साथ 'माँ समूह' के सदस्यों को भी अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाय। स्वेटर का वितरण ग्राम प्रधान एवं बच्चों के अभिभावकों की उपस्थिति में सुनिश्चित किया जाये। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि स्वेटर का वितरण पूर्ण गुणवत्ता एवं एकरूपता के साथ प्रत्येक दशा में 31 अक्टूबर, 2019 तक शत-प्रतिशत पूर्ण हो जाये।

16. **स्वेटर वितरण में अनियमितता पाये जाने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण**

जनपद स्तर /विकास खण्ड/वार्ड स्तर पर गुणवत्तापूर्ण ऊनी स्वेटर के वितरण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यह भी प्रमाणित करेंगे कि उनके अधीनस्थ सभी विद्यालयों में समय से स्वेटर का वितरण कर लिया गया है तथा समस्त भुगतान एकाउन्ट पेई चेक/इलेक्ट्रानिक ट्रान्सफर के माध्यम से किये गये हैं। यदि किसी स्तर पर स्वेटर की आपूर्ति में किसी भी अधिकारी की संलिप्तता पायी जाती है अथवा शिकायतें प्राप्त होती है तो विभाग द्वारा उसे संज्ञान में लेते हुए न केवल रिकवरी की कार्यवाही की जायेगी अपितु उसे कदाचार की श्रेणी में रखते हुए उनके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही/विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

17. विद्यालय स्तर पर निरीक्षण के समय सफल आपूर्तिकर्ता/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये सैम्पल के न मिलने अथवा सैम्पल के अभाव में भुगतान किये जाने का दायित्व सम्बन्धित प्रधानाध्यापक एवं अध्यक्ष, विद्यालय प्रबन्ध समिति का होगा। निरीक्षण के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विभिन्न स्तरों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर स्वेटर की गुणवत्ता, रंग के अन्तर तथा क्रय प्रक्रिया में विसंगति पाये जाने पर तत्काल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/इंचार्ज अध्यापक/खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं अन्य का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा कृत कार्यवाही की सूचना जिलाधिकारी एवं राज्य स्तर पर गठित कन्ट्रोल रूम को दी जायेगी।

18. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पूर्ण रूप से यथा निर्देश स्वेटर वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगें। इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशों एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में विद्यालय प्रबन्ध समिति स्तर तक की योजना बनायेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्तर पर 'कम्यूनिकेशन-गैप' न हो।

19. किसी भी स्तर पर स्वेटर की गुणवत्ता खराब पाये जाने अथवा फर्जी संख्या दर्शाकर वास्तविकता से अधिक वितरण दिखाने पर तथा नकद भुगतान करने आदि से सम्बन्धित शिकायतें सही पाये जाने पर विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष एवं सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/इंचार्ज अध्यापक के विरूद्ध कार्यवाही कर उनसे अधिक व्यय धनराशि की वसूली करायी जायेगी तथा प्रधानाध्यापक/इंचार्ज अध्यापक/खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा

अधिकारी के विरूद्ध यथावश्यकता प्राथमिकी दर्ज कराते हुए दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाए, जिससे छात्र–छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण स्वेटर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध हो सके। किसी भी स्तर पर अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 ।
4. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ स्वेटर क्रय, आपूर्ति एवं वितरण का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।
7. महाप्रबन्धक/प्रबन्धक, उद्योग विभाग, उ0प्र0।
8. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
9. वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा निदेशालय/बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
10. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0।
11. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
13. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
14. अनुश्रवण प्रकोष्ठ, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0, शासन।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या– 777 / 68–5–2019

प्रेषक,

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 27 अगस्त, 2019

विषयः शैक्षिक सत्र 2019–20 में परिषदीय विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क विन्टर यूनीफार्म (स्वेटर) के समयबद्ध वितरण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 664 / 68–5–2019–810 / 2017टी0सी0 दिनांक 16.08.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2019–20 में परिषदीय विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क विन्टर यूनीफार्म (स्वेटर) के समयबद्ध वितरण के संबंध में आदेश निर्गत किये गये है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–12 में निम्नवत व्यवस्था की गयी हैः–

"विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा स्वेटर प्राप्त होने पर भुगतान हेतु प्रस्तुत देयक के सापेक्ष 75 प्रतिशत का भुगतान तत्काल किया जायेगा तथा शेष 25 प्रतिशत का भुगतान आपूर्ति कर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये सैम्पल से मिलान करने के पश्चात किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि शैक्षिक सत्र 2019–20 में परिषदीय विद्यालयों में अध्यनरत छात्र–छात्राओं को निःशुल्क उच्च गुणवत्ता युक्त ऊनी स्वेटर का कय भारत सरकार द्वारा विकसित आन लाइन प्लेटफार्म जेम पोर्टल के माध्यम से जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा किये जाने के निर्देश है। अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के अनुमोदन के पश्चात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो सेकेण्डरी यूजर्स के रूप में पंजीकृत होगें, द्वारा केता (बायर) के रूप में भुगतान की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी, न कि विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा स्वेटर प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा।

3– शासनादेश सं0–1664 / 68–5–2019–810 / 2017टी0सी0, दिनांक 16.08.2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

भवदीया,
27/8/19
(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग।
2– समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4– राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान उ0प्र0 लखनऊ।
5– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ।
6– शिक्षा निदेशक, बेसिक उ0प्र0 लखनऊ स्वेटर कय आपूर्ति एवं वितरण का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।
7– महाप्रबन्धक / प्रबंधक उद्योग विभाग उ0प्र0।
8– सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
9– वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा निदेशालय / बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
10–समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
11–समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12– समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी उ0प्र0।
13– समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा उ0प्र0।
14– अनुश्रवण प्रकोष्ठ बेसिक शिक्षा विभाग उ0प्र0।
15–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।